उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005

Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांकः1044 / एनआरएम / डब्लूबीएसएलएएजी / पीएल / 2021 दिनॉकः13.11.2024

दिनांक	:	13 नवम्बर, 2024
समय	:	12:00 बजे
स्थान	:	उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति	:	संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की अठारहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024-25 की अठारहवीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक तथा पादप रोग वैज्ञानिक; मत्स्य विभाग; पशुपालन विभाग; उद्यान विभाग; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; गन्ना विभाग; उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ तथा उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा; रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह (13 से 20 नवम्बर, 2024) के दौरान प्रदेश में आसमान मुख्यतया साफ तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के सभी कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश के मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी-पूर्वी मैदानी क्षेत्र एवं भाभर-तराई क्षेत्र में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस; विंध्य क्षेत्र में 29 से 31 डिग्री सेल्सियस जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इस दौरान प्रदेश के सभी कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश के भाभर-तराई क्षेत्र, मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तथा अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश के उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र एवं भाभर-तराई क्षेत्र में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। दक्षिणी-पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र तथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75 से 85 प्रतिशत एवं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 60 प्रतिशत जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 80 एवं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस सप्ताह प्रदेश के लगभग सभी जलवायु अंचलों में 15 नवम्बर तक 2 से 4 किमी/घण्टे की गति से परिवर्तनशील हवायें चलने तथा उसके बाद इनकी गति में वृद्धि होने के साथ ही दिशा उत्तरी-पश्चिमी हो जाने की संभावना है।

कृषि विभाग, उ.प्र. द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2024 तक उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रबी की बुवाई का लक्ष्य 135.87 लाख हे. के सापेक्ष कुल रबी फसलों की बुवाई 31.01 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 22.83 प्रतिशत है गेहूँ के आच्छादन लक्ष्य 101.12 लाख हे. के सापेक्ष 9.35 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 9.26 प्रतिशत है। जौ के आच्छादन लक्ष्य 1.74 लाख हे. के सापेक्ष 0. 36 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 20.81 प्रतिशत है। मक्का के आच्छादन लक्ष्य 0.58 लाख के सापेक्ष 0.11 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 19.01 प्रतिशत है। चना के लक्ष्य 7.28 लाख हे. के सापेक्ष 4.13 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 56.8 प्रतिशत है। मटर के लक्ष्य 5.02 लाख हे. के सापेक्ष 2.75 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 54.81 प्रतिशत है। मसूर के लक्ष्य 5.98 लाख हे. के सापेक्ष 2.94 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 49.12 प्रतिशत है। तिलहनी फसलों में तोरिया की बुवाई लक्ष्य 4.67 लाख हे. के सापेक्ष 4.47 लाख हे. में बुवाई हुई है जो लक्ष्य का 95.60 प्रतिशत है जबकि राई-सरसों के 13.47 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 10.96 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 81.39 प्रतिशत है। अलसी के 0.68 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.39 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 58.29 प्रतिशत है।

मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों को फसल प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- धान के बीज का भण्डारण 10 से 12 प्रतिशत नमी पर (दांत से काटने पर कट की आवाज आने पर) करें।
- कृषि विभाग के बीज व कृषि रक्षा केन्द्रों से डीकम्पोजर प्राप्त कर फसल अवशेषों पर स्प्रे करके खेतों में सड़ाया जा सकता है। धान की कटाई के बाद खेत में पड़े अवशेष को केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ द्वारा उपकार द्वारा वित पोषित परियोजना में विकसित जैविक फॉर्मुलेशन हैलो-केयर का प्रयोग कर खेत में ही अवशेषों को अपघटित किया जा सकता है जिससे फसल अवशेष का जैविक कार्बन और पोषक तत्वों का मिट्टी में पुर्नचक्रण होता है और मृदा की उर्वराशक्ति बढ़ती है।
- मौसम के दृष्टिगत सिंचित दशा में गेहूँ की बुवाई के लिए तापक्रम अनुकूल है अतः युद्धस्तर पर बुवाई करें।
- रबी फसलों की बुवाई हेतु प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। यदि बीज प्रमाणित न हो तो बुवाई से पूर्व बीज जनित रोगों से बचाव के लिये बीज शोधन तथा भूमि जनित रोगों से बचाव के लिये भूमि शोधन करें।
- रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें।
- विलम्ब से गेहूं की बुवाई एवं उर्वरक सही गहराई में डालने तथा कम व्यय में कतार में बुवाई के लिये जीरोटिल फर्टीड्रिल का प्रयोग करें।
- रबी फसल गेहूं में मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाय यदि पूर्व फसल में बुवाई के समय जिंक का प्रयोग न किया गया हो तो जिंक सल्फेट का प्रयोग खड़ी फसल में संस्तुति के अनुसार किया जाय।
- भारत सरकार द्वारा नवीनतम AI/ML तकनीक का उपयोग करते हुये लक्षित कीटों/फसल संयोजनों के लिये जी.आई.एस. आधारित नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम (NPSS) मोबाईल ऐप विकसित किया गया है इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर/आई.ओ.एस. प्ले स्टोर में NPSS टाइप कर डाऊनलोड किया जा सकता है। इस ऐप द्वारा महामारी के प्रसार, कीट/रोग की पहचान, कीट हॉट स्पॉट की पहचान आदि के बारे में जानकारी ली जा सकती है जिससे किसानों को कीट रोग प्रबंधन, आर्थिक क्षति स्तर आधारित निर्णय लेने के लिये समय पर विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी।

गेहूँ की खेती

- सिंचित दशा में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये गेहूं की प्रजातियों जैसे डी.बी.डब्लू. 187 (करण वंदना), पी.बी.डब्लू.-826, एच.डी.-3249, के.-1006 (लवण सहिष्णु), एच.डी.-2967, के.-0307, डी.बी.डब्लू.-39, डी.बी.डब्लू. 222 (करणनरेन्द्र), डी.बी.डब्लू. 303 (करण वैष्णवी), डब्लू.एच. -1105, डब्लू.एच.-1270, एच.डी.-3386, एच.डी.-3086 आदि की बुवाई यथाशीघ्र करें।
- प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिये संस्तुत किस्मों जैसे के.-1616, के.-1317, डी.एल.-803-3, राज-1555, एच.आई.-8381, एच.आई.-8498, के.-9107, डब्लू.एच.-147, जी.डब्लू.-273, जी. डब्लू.-322, एच.डी.-3237, एच.डी.-3365 की बुवाई करें।
- गेहूँ की विलंब से बोई जाने वाली संस्तुत किस्मों यथा एच.डी.-3271, हलना, डी.बी.डब्लू.-107, एच.डी.-3118, एच.आई.-1634 (पूसा अहिल्या), पी.बी.डब्लू.-752, डब्लू.एच.-1125 आदि के बीज का प्रबंध करें।
- ऊसरीली भूमि में बुवाई हेतु संस्तुत किस्मों जैसे- के.आर.एल.-283, के.आर.एल.-19, के.आर.एल. -210 एवं के.आर.एल.-213 आदि की बुवाई 20 नवम्बर तक करें।
- मौसम के बदलते परिवेश में सिंचित दशा में समय से बोई जाने वाली ताप सहिष्णु संस्तुत किस्मों एच.डी.-3293, डी.बी.डब्लू.-327 (करण शिवानी), डी.बी.डब्लू.-107, डी.बी.डब्लू.-90 (ई), डब्लू. -1105, सी.बी.डब्लू.-38 की बुवाई करें।
- कठिया गेहूं (ड्यूरम गेहूं) की सिंचित दशा में बुवाई हेतु संस्तुत किस्मों पी.बी.डब्लू.-34, पी.बी.डब्लू. -215, पी.बी.डब्लू.-233, एच.आई.-8381, एच.आई.- 8713, एच.आई.-8737, एच.आई.-8759, यू.पी.-2784, जी.डब्लू.-273, एच.डी.-4728, एच.डी.-943 आदि की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।
- सकरी एवं चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के एक साथ नियंत्रण हेतु पेण्डीमेथलीन 30 प्रतिशत ई.सी. की 3.3 लीटर प्रति हे. की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के बाद 3 दिन के अंदर छिड़काव करें।

जौ की खेती

- जौ की सिंचित दशा के लिये छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों जैसे के.-1055 (प्रखर), के.287 (जागृति), के.-409 (प्रीति), नरेन्द्र जौ-एन.डी.बी.-940, एन.डी.बी.-1173, एन.डी.बी.-1145 व छिलकारहित संस्तुत किस्म एन.डी.बी.-943, मार्ट हेतु संस्तुत किस्म डी.डब्लू.आर.-28, के.-551 (ऋतम्भरा), डी.बी.डब्लू.आर.बी.-101, डी.बी.डब्लू.आर.बी.-137 की बुवाई करें।

रबी मक्का की खेती

- रबी मक्का की संकर प्रजातियों यथा पी.एम.एच.-3, एच.क्यू.पी.एम.-1, सीडटेक-2324, शक्तिमान-1, बुलन्द, संकुल मक्का की किस्मों शरदमणी, शक्ति-1 लावा हेतु पर्ल-पॉपकॉर्न, शियाट्स मक्का-3, मीठी मक्का की प्रिया स्वीट कॉर्न व माधुरी स्वीट कॉर्न तथा शिशु मक्का हेतु एच.एम.-4 व आजाद कमल प्रजातियों की बुवाई करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- राई/सरसों की बुवाई के 15 से 20 दिन के अंदर घने पौधों को निकालकर (थिनिंग) उनकी आपसी दूरी 15 से.मी. कर देना आवश्यक है।
- राई सरसों में पहली सिंचाई के बाद नत्रजन की शेष मात्रा की टॉपड्रेसिंग करें।
- अलसी की बीज उद्देशीय उन्नतिशील किस्मों यथा रजनी, यूटेरा अलसी, जे.एल.एस.-95, मऊ आजाद, शारदा, शेखर, पद्मिनी, उमा, इंदू, उत्तेरा अलसी-2, राजन तथा कोटा अलसी-6 तथा द्विउद्देशीय किस्मों यथा रूचि, पार्वती तथा रश्मि, आजाद, प्रज्ञा की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।

चना की खेती

- चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु देशी संस्तुत प्रजातियों यथा अवरोधी, पूसा-256, के.डब्लू.आर.-108, डी.सी.पी. 92-3, के.डी.जी.-1168, जी.एन.जी.-1958, जे.पी.-14, जी.एन.जी.-1581, पूर्वी उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति गुजरात चना-4, मैदानी क्षेत्रों हेतु के-850, पश्चिमी उ.प्र. हेतु आधार (आर.एस. जी.-936), डब्लू.सी.जी.-1, डब्लू.सी.जी.-2 तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत प्रजातियों राधे व जे.जी. -16 तथा काबुली चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति एच.के-94-134 पूर्वी उ.प्र. हेतु पूसा-1003, पश्चिम उ.प्र. हेतु चमत्कार (वी.जी.-1053) तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत जी.एन.जी. -1985, उज्जवल व शुभ्रा प्रजातियों की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।
- चने की देर से बुवाई हेतु काबुली चना की संस्तुत किस्मों यथा फूले विक्रम (जी-08108), जी.एल. के.-28127, जी.एन.जी.-1969 (के.) तथा देशी चना की संस्तुत किस्में यथा आई.पी.सी. -2005-62, आई.पी.सी.-2006-77, जी.एन.जी.-2207 (अवध), पूसा 372, पंत जी-186 के बीज का प्रबंध करें।
- चने में हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कीट से बचाव हेतु फैरोमैन ट्रैप का प्रबंध करें तथा खेत में बर्ड अपर्चर की व्यवस्था करें जिससे कीट के लार्वा को चिड़ियों द्वारा समाप्त किया जा सकें।

मसूर की खेती

- मसूर के लिये सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संस्तुत किस्मों यथा आई.पी.एल.-230, आई.पी.एल.-321, आई.पी.एल.-225, आई.पी.एल.-329, पंत मसूर-9, के.एल.बी.-345 (शेखर-4), के.एल.एस.-122 (शेखर-5), के.एल.एस.-09-3 (कृषि), के.एल.बी.-2008-4 (कृति) की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।

मटर की खेती

- सम्पूर्ण उ.प्र. के लिये मटर की किस्मों यथा अर्किल, पंत मटर-155, पूसा श्री, काशीनंदनी, काशी उदय, काशी मुक्ति, आजाद पी-3, आजाद पी-1, अर्लीबैजर, काशी अगेती, पूसा मटर-3, आजाद मटर, जवाहर मटर-3, जवाहर मटर-4, पंत सब्जी मटर, पंत मटर-2 आदि की बुवाई करें।
- आई.पी.एफ.डी. 13-2, आई.पी.एफ.डी. 12-8, आई.पी.एफ.डी. 6-3, आई.पी.एफ.डी. 9-2, मालवीय मटर-15, पश्चिमी उ.प्र. हेतु जय (के.पी.एम.आर-522), हरियाल, पंत पी-42, पंत पी-250, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र हेतु दन्तीवाडा मटर-1, एच.एफ.पी.-529, आई.पी.एफ. हरित 16-13, बुन्देलखण्ड हेतु प्रकाश, आई.पी.एफ.डी. 11-15, आई.पी.एफ.डी. 12-2, आई.पी.एफ.डी. 2014-2 की बुवाई करें।

गन्ना की खेती

- शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रदेश में स्वीकृत गन्ना किस्मों यथा को.शा.-13235, को.लख.-14201 को.15023, को.लख.-16470, को.लख.-16202, को.शा.-17231, को.शा.-16233, को.से.-13452 तथा सी.ओ. 0118 की बुवाई 15 नवम्बर तक पूर्ण करें।
- शरदकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती हेतु गन्ने के साथ आलू, लहसुन, सब्जी, मटर आदि की यथाशीघ्र बुवाई कर दें।
- शरदकालीन गन्ने के जमाव के पश्चात् आवश्यकतानुसार सिंचाई कर दें।
- बीज गन्ने का उपचार बावस्टिन 0.1 प्रतिशत अथवा थायोफिनेट मिथाईल 0.1 (1 ग्राम प्रति ली. पानी) प्रतिशत से अवश्य करें।
- चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति करते समय गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें।
- गन्ने की कटाई तभी करें जब सप्लाई टिकट का एस.एम.एस. आपके मोबाईल पर आ जाय।

सब्जियों की खेती

- गोभीवर्गीय फसलें बैंगन, टमाटर आदि की नर्सरी डालें तथा पूर्व में रोपित पौध में निराई-गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, टॉप ड्रेसिंग एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
- एकीकृत कीट प्रबंधन के लिये गोभीवर्गीय फसलों में फूल बनने की अवस्था के समय नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5 मि.ली./10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना उचित माना जाता है। इसका छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिये।
- लहसुन की उन्नतशील किस्मों यथा एग्रीफाउन्ड व्हाईट, यमुना सफेद (जी-1), यमुना सफेद-2 (जी-50), यमुना सफेद-3 (जी-282), पंत लोहित एवं यमुना सफेद-4, यमुना सफेद-5, यमुना सफेद-8, यमुना पर्पल-10 एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती की बुवाई करें।
- रबी प्याज की संस्तुत प्रजातियों यथा भीमा किरन, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, कल्याणपुर लाल गोल, पूसा रत्नाकर, एग्रीफाउन्ड लाइट रेड, एग्रीफाउन्ड व्हाईट, पूसा मधुवी तथा अर्कानिकेतन की नर्सरी डालने हेतु बीज की व्यवस्था करें।
- धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा तथा सोया की बुवाई करें।
- पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें।
- बैंगन में तनाछेदक से बचाव हेतु कीटनाशी का प्रयोग करें।
- फूलगोभी तथा पत्तागोभी में डायमंड ब्लैक मौथ का प्रकोप होने पर कीटनाशी का छिड़काव करें।

आलू की खेती

- बुवाई के 7-10 दिन पहले शीत भण्डार से बीज आलू को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छांटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरंत बाद आलू के कंदों को बोरिक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित आलू बीज को उपचारित न करें।
- आलू में पछेती झुलसा से बचाव हेतु ट्राईकोडर्मा 4 से 6 ग्रा. प्रति लीटर पानी की दर से अथवा मेटालेक्जिल समूह के फफूंदनाशी 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से उपचारित करें।
- आलू की उन्नत किस्मों यथा कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी सतलज, कुफरी चिपसोना-1, कुफरी चिपसोना-2, कुफरी चिपसोना-3, कुफरी सदाबहार, कुफरी नीलकंठ, कुफरी अशोका आदि की बुवाई करें।
- बुवाई के समय यदि भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा अवश्य कर लें। यदि आलू की बुवाई के पूर्व पलेवा नहीं किया गया है तो बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर हल्की सिंचाई अवश्य करें।
- आलू बीज उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कंद की बुवाई सुनिश्चित करें।
- मिर्च में सफेद मक्खी से बचाव हेतु कीटनाशी का प्रयोग करें।

बागवानी की खेती

- आम के बाग में प्रथम 10 वर्षों तक अधिक लाभ के लिये अन्तः फसल के रूप में आलू, मिर्च, टमाटर, मटर तथा ग्लेडियोलस की खेती करें।
- आंवले में फलसड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स (6 से 8 ग्रा. प्रति लीटर पानी) को छिड़काव करें तथा उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का थालों में प्रयोग करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 2 से 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

मशरूम की खेती

- मशरूम की ढ़िगरी प्रजाति की खेती नवम्बर के अंत तक पूर्ण करें।

- जिन मशरूम उत्पादकों ने बटन मशरूम के लिये कम्पोस्ट तैयार कर लिया है वह जल्दी से जल्दी स्पानिंग कर दें।

पशुपालन

- खुरपका एवं मुंहपका बीमारी (एफ.एम.डी.) का टीकाकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में 8 दिसम्बर तक निशुल्क चलाया जा रहा है।
- विभागीय प्रक्षेत्रों पर जई तथा बरसीम का बीज निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है अतः पशुपालक/कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी मौसम में पशुपालकों/कृषकों को बरसीम प्रमाणित चारा बीज मिनी किट निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- पं.दीन दयाल उपाध्याय मेले का आयोजन मण्डल/जिला एवं विकास खण्ड के ग्रामों में आयोजित किया जा रहा है जिसमें निशुल्क चिकित्सा, दवापान एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.-1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- तालाब में मछलियों के लिये पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के शरीर के भार के 1.8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं करें।
- तालाब में मृदा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मृदा प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करें।
- कार्प मछलियो वाली तालाब में माह के अंत में जाल अवश्य चलायें।
- मछलियों को संक्रमण से बचाने के लिये प्रति एकड़ 400 ग्रा. पोटेशियम परमैगनेट या 500 मि.ली. ग्राम प्रति एकड़ कर दर से वॉटर सेनेटाईजर का प्रयोग करें।
- तालाब में पानी ज्यादा हरा होने पर चूना एवं रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें एवं 800 ग्राम कॉपर सल्फेट का प्रयोग पानी में घोलकर करें।
- पंगेशियस मछलियों वाली तालाब में तैयार मछली की निकासी का कार्य 3-4 दिनों के अंदर लगातार कर लेना चाहिये क्योंकि बची हुई मछली को छोड़ने से मरने की संभावना बढ़ जाती है तालाब में चूना का प्रयोग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 15 दिनों के अंतराल पर करें।

रेशम पालन

- टसर सेक्टर में टी.वी. रेश का कीटपालन प्रगति पर है। कीट की पक्षियों, छिपकली एवं जंतुओं से रक्षा हेतु कीट पालन नैट का प्रयोग करना चाहिये।
- कीट पालन ट्रे में रेशम कीट का सही फैलाव करें तथा क्लीनिंग नेट का प्रयोग करते हुये रेशम कीटों का अन्य ट्रे में स्थानांतरण करते हुये साफ सफाई करें।
- शहतूती सेक्टर में पतझड़ व्यवसायिक क्राप की कीट पालन का कार्य प्रगति पर है। अतः कीटपालकों को सुझाव दिया जाता है कि कीट मोल्ट से बाहर आने के बाद प्रथम फीडिंग के 30 मिनट पूर्व विजेता या आर.के.ओ. का छिड़काव करें, जिससे कीटों में आने वाली बीमारियों को रोका जा सकें।

आपदा प्रबंधन

- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं के सापेक्ष मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को रु0 4 लाख की अहैतुक सहायता प्रदान की जाती है।
- आपदाओं से क्षति के क्रम मे जन-हानि, पशु हानि, मकान हानि, कृषि क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान, खोज एवं बचाव कार्य, रिकवरी एवं पूर्ननिमार्ण मद, क्षमता निमार्ण इत्यादि भिन्न-भिन्न मदों

में राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत राहत धनराशि वितरित की जाती है। इस संदर्भ में संबंधित विभाग से सम्पर्क करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 28 **नवम्बर,** 2024 **को अपराह्न** 12:00 **बजे आयोजित की जायेगी।**

नोटः- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट **upcar.up.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट **www.kisanmitraup.ai** पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल **upcar12@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

(संजय सिंह) 13/11/24
महानिदेशक

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।

19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

13-11-24.

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की अठारहवीं बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2024 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
2. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ।
3. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
4. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेशं
5. डा. समीर कुमार विश्वास, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
7. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,बांदा
9. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ ।
10. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आवजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
11. डा. अंशुमान सिंह, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
12. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उ.प्र.।
13. श्री गिरीश त्रिपाठी, सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. श्री नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।
15. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
16. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।